

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ० प्र०,
प्रयागराज।

2-कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 05 सितम्बर, 2021

विषय: प्रदेश स्थित महाविद्यालयों में शोध कार्यों को प्रोत्साहन/बढ़ावा दिए जाने हेतु सभी परास्नातक एवं स्नातक विभागों के शिक्षकों को शोध निर्देशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 के विनियमों को उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010, दिनांक 28-06-2019 द्वारा शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2.12 में अन्य बिन्दुओं के साथ यह उल्लिखित है कि आवश्यकता के आधार पर महाविद्यालयों के शिक्षकों को पीएचडी0 निर्देशन की सुविधा दिए जाने आदि बिन्दुओं के संबंध में विचार-विमर्श कर पृथक् से निर्णय लिया जायेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थित महाविद्यालयों में शोध कार्यों के प्रोत्साहन/बढ़ावा देने हेतु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सभी परास्नातक एवं स्नातक विभागों के शिक्षकों द्वारा शोध निर्देशन किया जाएगा। ऐसे नियमित व पूर्णकालिक शिक्षक जो पीएचडी0 किए हों तथा कम से कम 05 शोध पत्र referred journals में प्रकाशित किए हों, ऐसे शिक्षक शोध निर्देशन कर सकेंगे। महाविद्यालयों के शोध पर्यवेक्षक अपने शोध के लिए निकट के संस्थानों/महाविद्यालयों/रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों एवं अन्य संगठनों की संरचना एवं शोध हेतु सहायक सुविधाओं का उपयोग अपने शोध को उत्कृष्ट बनाने हेतु कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शोध विद्यार्थियों द्वारा अपना पंजीयन व फीस विश्वविद्यालय में जमा किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा ही डिग्री

प्रदान की जाती है। ऐसे में विश्वविद्यालय का दायित्व है कि शोध कार्य बढ़ावा देने हेतु प्रशासनिक सहायता के साथ-साथ योग्य शोध पर्यवेक्षक भी उपलब्ध कराएं।

3— इस हेतु आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों द्वारा शोध पर्यवेक्षक के चयन/अनुमोदन की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध निर्देशन की सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप शोध कार्य हेतु अधिक संख्या में योग्य शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। शोध की गुणवत्ता उच्चतम बनाए रखने हेतु शोध के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ववत् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण होने पर शोध निर्देशक के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नीति निर्धारित की जाएगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,



(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-2337(1)/सत्तर-5-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
- 2— सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 3— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4— अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
- 5— कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 6— वित्त अधिकारी समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 7— वित्त नियंत्रक, निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 8— समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9— वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10— वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11— समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12— अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 13— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।